TIER 2

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग (यूएससीआरआईएफ़) अमेरिकी संघीय सरकार का एक स्वतंत्र, द्विपक्षीय निकाय है जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफ़ए) द्वारा 1998 में की गई थी तथा यह विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के सार्वभौमिक अधिकारों की निगरानी करता है। यूएससीआरआईएफ़ विदेश में धार्मिक स्वतंत्रता या आस्था के उल्लंघन की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रयोग करता है एवं राष्ट्रपति, गृहमंत्री को कांग्रेस के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है। यूएससीआरआईएफ़ एक स्वतंत्र, पृथक निकाय है तथा यह गृह मंत्रालय से अलग है। 2017 की वार्षिक रिपोर्ट कमिश्नर और पेशेवर स्टाफ द्वारा जमीनी तौर पर हुए इन उल्लंघनों को दस्तावेज़ीकृत करने के एक वर्ष के काम के समापन को दर्शाती है। 2017 की वार्षिक रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2016 से लेकर फरवरी 2017 के मामले शामिल हैं हालांकि कुछ मामलों में समय सीमा के बाद घटी घटनाओं को शामिल किया गया है। यूएससीआरआईएफ़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट यहां देखें या यूएससीआरआईएफ़ से सीधे 202-786-0611 पर संपर्क करें।

भारत

मुख्य निष्कर्षः 2016 में, भारत में धार्मिक असहिष्णुता की स्थिति बिगड़ गई है। हिन्दू राष्ट्रवादी समूह जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) और उनके समर्थक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और हिन्दू दलितों के साथ हुई धमकी देने, उत्पीड़न और हिंसा करने की बहुत-सी घटनाओं में शामिल रहे हैं। ये उल्लंघन भारत के 29 राज्यों में से 10 राज्यों में अधिक संख्या में और गंभीर रूप में हुए हैं। राष्ट्रीय और राज्य के कानून धर्मांतरण, गौ हत्या, गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी सहायता पर प्रतिबंध लगाते हैं तथा सिख, बौद्ध और जैन को हिन्दू मानने के संवैधानिक प्रावधान ने ऐसी स्थिति पैदा करने में मदद की है जिससे इन उल्लंघनों को बल मिलता है। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साप्रंदायिक सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर सार्वजनिक रूप से बोला है तथापि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के राष्ट्रवादी समूहों से संबंध हैं जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को जटिल बना दिया है और इन्होंने तनाव को बढ़ाने के लिए धार्मिक रूप से विभाजनकारी भाषा का प्रयोग किया एवं धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतिषेध के लिए अतिरिक्त कानून बनाने की मांग की है। पुलिस, न्यायिक पक्षपात और कानून की अपर्याप्तता जैसी बड़ी समस्याओं के साथ इन मुद्दों ने दंडमुक्ति के व्यापक माहौल का निर्माण किया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक और अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनके पास धर्म से प्रेरित अपराध से बचने का कोई साधन नहीं होता है।

अमेरिकी सरकार की सिफारिशें

- संघीय और प्रांतीय, दोनों स्तरों पर भविष्य के महत्वपूर्ण संवादों का फ्रेमवर्क बनाने सहित भारत के साथ द्विपक्षीय संपर्कों में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति चिंता को शामिल करना और धार्मिक हिंसा के मामलों को प्रतिबंधित व दंडित करने के प्रभावकारी उपाय लागू करने और पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा करने के लिए राज्य व केंद्रीय पुलिस की क्षमता मजबूत करने को प्रोत्साहित करना;

- धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानवाधिकारों के मामलों पर अमेरिकी दूतावास द्वारा ध्यान दिए जाने को बढ़ाना जिसमें उन क्षेत्रों में राजदूत और अन्य अधिकारियों द्वारा दौरा करना शामिल है जहां सांप्रदायिक व धार्मिक प्रेरित हिंसा हुई है या होने की संभावना है और धार्मिक समुदायों, स्थानीय सरकारी नेताओं और पुलिस से बैठक करना;

- भारत सरकार का दबाव देना कि वह देश का दौरा करने के लिए यूएससीआईआरएफ़ को अनुमति दे और भारत सरकार से आग्रह करें कि वह भारत दौरे पर धार्मिक और मत संबंधी स्वतंत्रता से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टरों को आमंत्रित करें;

- पुलिस व न्यायिक व्यवस्था के लिए मानवाधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के मानक व प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए भारत से अपील करना, खासतौर पर उन राज्य व क्षेत्रों में जहां धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास या इसकी संभावना है;

- भारत की केंद्र सरकार से राज्यों पर यह दबाव डालने की अपील करना की वह धर्मांतरण विरोधी कानून में बदलाव लाएं ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानकों के अनुकूल बनाने के लिए बदला जा सके या संशोधित किया जा सके; और

- भारतीय सरकार को उन सरकारी अधिकारियों व धार्मिक नेताओं को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने की अपील करना जिन्होंने धार्मिक समुदायों के बारे में अपमानजनक वक्तव्य दिए हैं।

पृष्ठभूमि

भारत 1.26 अरब या विश्व की कुल जनसंख्या की 1/6 जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 80% जनसंख्या हिंदू है; 14% से ज्यादा मुस्लिम हैं (विश्व में मुस्लिमों की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या); 2.3% इसाई हैं; 1.7% सिख हैं; 1% से कम बुद्ध हैं; 1% से कम जैन हैं और एक प्रतिशत वह लोग हैं जो अन्य धर्मों से संबंधित हैं या जिनका कोई धर्म नहीं है।

भारत एक बहु-धार्मिक, बहु-जातीय, बहु-सांस्कृतिक देश और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। इन सकारात्मक विशेषताओं के बावजूद, भारत सरकार ने धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, प्रताड़ना से अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने और अपराध घटित होने पर न्याय प्रदान करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। देश ने समय-समय पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसाओं का अनुभव किया है जिसमें उत्तर प्रदेश में 2013, उड़ीसा में 2007-2008, गुजरात में 2002और दिल्ली में 1984 भी शामिल हैं। यद्यपि भारत ने इन घटनाओं से उत्पन्न अपराधों की जांच और निर्णय करने के लिए विशेष संरचनाएं जैसे की फास्ट ट्रैक अदालते, विशेष जांच टीम (एसआईटी) और स्वतंत्र कमीशन की स्थापना की है। तथापि, उनके प्रभावों को सीमित क्षमता, पुरानी न्यायपालिका, असंगत उपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार और धार्मिक पक्षपात द्वारा, विशेष रूप से राज्य और स्थानीय स्तर पर बाधित कर दिया गया है। इन घटनाओं से उत्पन्न कई मामले अभी भी भारत की अदालत प्रणाली में लंबित हैं। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा छोटे पैमाने पर भेदभाव भारत के इन दस राज्यों में प्रायः होते हैं : उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान । इनमें से कुछ राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन प्रणालीबद्ध, सतत, बेहद खराब तरीके से होता प्रतीत होता है और इससे सीपीसी स्तर में वृद्धि होती है।

मुसलमान, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय तथा हिन्दू दलित मानते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार से पहले के हैं। हालांकि वे मानते हैं कि स्थिति में 2014 से अधिक गिरावट आई है जिसका कारण भाजपा का हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिक प्लेटफॉर्म और इसके सदस्यों की हिन्दू राष्ट्रवादी समूहों को सहायता और/या इनमें सहायता है। भाजपा की स्थापना आरएसएस के सहयोग से हुई थी तथा इनके आपस में उच्च स्तर पर घनिष्ठ संबंध हैं। भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार और बीएचपी हिन्दुत्व (हिन्दू धर्म) की विचारधारा को मानते हैं जो हिन्दू धर्म को हिन्दू मूल्यों के आधार पर भारत को एक हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस विचारधारा को मानने वाले कुछ लोग और समूह धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा, भेदभावपूर्ण कामों और धार्मिक रूप से प्रेरित कुत्सा प्रचार का उपयोग करते हैं जिससे भय का वातावरण निर्मित होता है और इस देश में गैर-हिंदुओं को सौहार्द की कमी महसूस होती है। भाजपा सरकार के अधिकारियों और/या हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा धर्मांतरण, गौहत्या और एनजीओ की विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करने वाले मौजूदा संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सख्ती से साथ लागू करने के कारण देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है।

हालांकि 2016 में बड़े पैमान की कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जनवरी 2017 में रिपोर्ट दी कि 2016 के पहले पांच महीने में सांप्रदायिक हिंसा के 278 मामले हुए। 2016 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को उक्त घटनाओं की अल्पसंख्यक समुदायों से 1,288 शिकायतें मिलीं जो 2015 में मिली लगभग 2,000 शिकायतों की तुलना में कम हैं। हालांकि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर

ईसाई और मुसलमानों ने यूएससीआईआरएफ़ को सूचना दी की घटनाओं संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय इतना घबराया हुआ है या उसे लगता है कि इनकी सूचना देना बेकार है।

धार्मिक स्वतंत्रता की शर्तें 2016-17 कानूनी मुद्दे

कानूनी मुद्दे : भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए समान कानूनी प्रावधान हैं भले ही उनका धर्म और पंथ अलग हो एवं संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। तथापि, संविधान के अन्य प्रावधान ऐसी स्थिति के निर्माण में मदद करते हैं जिसमें हिन्दू राष्ट्रवादी समूह और उनके समर्थक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और हिन्दू दलितों को भयभीत करते, उत्पीड़न और हिंसक हमले करते हैं जिससे कथित रूप से इन कानूनों को बनाए रखा जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने को कहता है तथा ऐसा माना जाता है कि बहुत से मुसलमान ईद-उल-अजहा (बलिदान का त्यौहार) पर गाय की कुर्बानी देते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 25 में सिख, जैन और बौद्ध को हिन्दू माना जाता है। परिणामतः इन धर्मो के मानने वाले लोग हिन्दू पर्सनल स्टेटस कानून के अधीन होते हैं तथा सामाजिक निकाय या रोजगार और शैक्षिक प्राथमिकताएं जो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को उपलब्ध होती है, से उन्हें वंचित किया जाता है। (और अधिक जानकारी के लिए *कंस्टीट्यूशनस एंड लीगल चैलेंजेज फेस्ड बाई रिलीजियस माइनॉरटीज इन इंडिया* - www.uscirf.gov पर जाएं)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का पालन करते हुए 29 में से 24 भारतीय राज्यों ने गौ हत्या पर प्रतिषेध या प्रतिबंध लगाने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं। राज्य अपराध कानूनों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गाय या बैल की हत्या करने या उन्हें कैदी करने या गोमांस खाने के लिए दस वर्ष की सजा या 10,000 रुपये (150 अमेरिकी डॉलर) जुर्माना हो सकता है। कानूनी प्रावधानों का उपयोग, मुसलमानों और दलितों को (जो विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं) आर्थिक रूप से हाशिए पर ला देगा तथा इनमें से बहुत से लोग गौमांस या चमड़े के उद्योग में काम करते हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान बहुत से मुसलमानों और दलितों को इन कानूनों के अंदर अभियोजित किया जा रहा है तथा इस प्रकार के आरोप के आधार पर उन पर हिंसा की जा रही है। उदाहरण के लिए अगस्त 2016 में मुजफ्फरनगर के कडाली हांव में स्थानीय पुलिस ने एक परिवार के तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश गौ हत्या रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गौहत्या के लिए उन्हें आरोपित किया। पुलिस ने भीड़ द्वारा परिवार के घर पर हमले के बाद कथित रूप से परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया।

छह भारतीय राज्य छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में तथाकथित "धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम" है जिसे सामान्यतः धर्मांतरण का विरोधी कानून कहा जाता है तथा जो धर्मांतरण का प्रतिषेध करता है। अनैतिक धर्म परिवर्तन युक्ति से जुड़ी चिंताओं के कारण इन कानूनों में सामान्यतः सरकारी पदाधिकारी हिन्दू धर्म से धर्मांतरण की वैधानिकता का मल्यांकन करते हैं तथा इनमें बलात, छलकपट या प्रलोभन से किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति के लिए अर्थदंड और कैद का प्रावधान है। यद्यपि कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों के बलात धर्मपरिवर्तन को कथित रूप से रोकता है तथापि ये एकपक्षीय है तथा इनकी चिंता हिन्दू धर्म से धर्मांतरण की है न कि किसी अन्य धर्म से हिन्दू धर्म में धर्मांतरण

करने की है। पर्यवेक्षकों ने नोट किया कि ये कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति न केवल शत्रुवत बल्कि हिंसक परिवेश का निर्माण करते हैं क्योंकि गलत कृत्य के आरोप के समर्थन में किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। भाजपा के अध्यक्ष ने राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण विरोधी कानून की वकालत की है।

2010 का विदेशी (अभिदाय) विनियमन अधिनियम विदेशी व्यक्तियों, संघों और कंपनियों से प्राप्त धन के प्रवाह और उपयोग को विनियमित करता है जोकि ''राष्ट्र हित में हानिकारक'' है। 2015 में गृह मंत्रालय ने लगभग 9000 चैरिटेबल संगठनों (धार्मिक और गैर-धार्मिक) का लाइसेंस अधिनियम का अनुपालन न करने के कारण समाप्त कर दिया एवं इनमें से बहुत से समूहों का पंजीकरण निरस्त है। कुछ संगठनों ने आरोप लगाकि कि उन्हें मानव दुर्व्यवहार, श्रम संबंधी स्थितियों, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मानवाधिकार, पर्यावरण एवं भोजन और जल में सुधार के मामले में सरकार के खराब रिकॉर्ड को रेखांकित करने के कारण निशाना बनाया गया जबकि अन्य संगठनों का दवा है कि सरकार ने हिन्दू (राष्ट्रवादी) समूहों और राज्य के भाजपा सदस्यों द्वारा संगठन को 'हिन्दू विरोधी' बताए जाने पर कार्रवाई की है। नवंबर, 2016 में ह्यूमन राइट वॉच ने रिपोर्ट दी की मानवाधिकार के मुद्दों से जुड़े कार्य करने वाले संगठनों सहित 25 एनजीओ को पंजीकरण जारी रखने से मना कर दिया गया है। संगठन जिनके लाइसेंस निरस्त हुए हैं, उनमें कंपैशन इंटरनेशनल, जोकि एक ईसाई मानवतावादी संगठन है जिसने लगभग 50 वर्षों से भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों की सहायता की है, सबरंग ट्रस्ट जिसने 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों की ओर से न्याय दिलाने का काम किया है, शामिल हैं।

मुसलमानों के खिलाफ उल्लंघन: पिछले एक वर्ष के दौरान स्थानीय और राज्य स्तरीय भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा मुसलमानों के उत्पीड़न और उन पर हमला करने की बहुत सी रिपोर्ट मिली हैं। मुसलमान समुदाय के सदस्य बताते हैं कि उनके प्रति दुर्व्यवहार करने वाले प्रायः उनहें आतंकवादी होने, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने, जबरन अपहरण, धर्म परिवर्तन करने और हिन्दू महिलाओं से शादी करने एवं गौहत्या कर हिन्दू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हैं। मुसलमान समुदाय के लोग समाज और पुलिस के पक्षपात और आरएसएस द्वारा न्यायिक धमकी के कारण् अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार की शिकायत बहुत ही कम करते हैं।

जनवरी 2016 में ''गौ संरक्षक'' जो प्रायः हिन्दू राष्ट्रवादी होते हैं, ने मुसलमानों और हिन्दू दलितों को कथित रूप से गाय की हत्या करने, बेचने और गाय से बने सामान के उपभोग के कारण, उन्हें धमकाया, उनका उत्पीड़न किया और उन पर हमला किया। उदाहरण के लिए अप्रैल 2016 में उत्तर प्रदेश के पंजाब क्षेत्र में छह मुसलमान युवाओं को गिरफ्तार किया जिन पर आरएसएस के सदस्यों ने बिना साक्ष्य आरोप लगाया कि वे आवारा गायों की हत्या कर रहे थे। रिपोर्ट लिखे जाने तक छह लोग जेल में बंद हैं और न्यायालय में कोई तारीख नहीं मिली। जुलाई 2016 में मध्यप्रदेश में हिन्दू राष्ट्रवादी समूह के सदस्यों ने दो मुसलमान महिलाओं को पीटा भी जिन पर उन्होंने गौमांस ले जाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और पुलिस ने पीड़ितों की मदद के लिए कुछ नहीं किया बल्कि दर्शकों को घटना की फिल्म बनाने दी। जुलाई में

गुजरात के ऊना कस्बे में शिवसेना जो भारतीय कट्टर दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है, के सदस्यों ने कथित रूप से चार दलित युवकों को गाय को मारने और उसके चमड़े को निकालने के लिए नंगाकर पीटा।

ईसाइयों के विरुद्ध उल्लंघन: ईसाई समुदाय ने 2016 में अपने विभिन्न समुदायों पर उत्पीड़न और हमले की रिपोर्ट दी है और जिसके लिए उन्होंने भाजपा समर्थित हिन्दू राष्ट्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। 2017 की शुरुआत में एक एनजीओ ओपन डोर्स ने अनुमान लगाया कि जनवारी से अक्तूबर 2016 के बीच भारत में एक सप्ताह में एक चर्च जलाया गया या पादरी को पीटा गया एवं समूह ने 2015 में मामलों की संख्या में तीन गुना वृद्धि होने की रिपोर्ट दी।

ये घटनाएं प्रायः ऐसे संदेहों या आरोपों पर आधारित होती हैं कि ईसाई प्रलोभन और हिन्दू धर्म को अपमानित कर बलात धर्मांतरण करते हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2016 में छत्तीसगढ़ में 60 ईसाई पेंटेकोस्टल चर्च में पूजा कर रहे थे तभी उन पर हिन्दू कट्टरपंथियों ने हिंसक हमला किया जिनका मानना था कि ये लोग हिन्दुओं का धर्मांतरण का प्रबंध कर रहे थे। चर्च की संपत्ति नष्ट की गई, प्रार्थना में आए सदस्यों को पीटा गया और प्रार्थना में शामिल महिलाओं को नंगा करके पीटा गया। अप्रैल 2016 में बिहार में पेंटेकोस्टल समुदाय पर हिन्दुओं के कथित धर्मांतरण के प्रयास के लिए पीटा गया। एक पादरी का कथित तौर पर अपहरण किया गया और उसे छोड़ने से पूर्व घंटों तक यातनाएं दी गईं। रिपोर्ट के अनुसार समुदाय ने हमले की जांच के लिए शिकायत दर्ज नहीं की। जुलाई 2016 में हिन्दू कट्टरपंथियों ने कथित रूप से हिन्दुओं के धर्मांतरण के प्रयास के लिए मध्यप्रदेश के गदरा गांव के पेंटेकोस्टल मिनिस्टर राम लाल कोरी और उनके एक मित्र का अपहरण कर लिया। इन लोगों को खींचकर जंगल में ले जाया गया और डंडों से पीटा गया। पुलिस ने आठ घंटे बाद उन्हें एक पेड़ से बंधा हुआ पाया तथा हमलावरों को गिरफ्तार करने के बदले पुलिस अधिकारियों ने धर्मांतरण विरोधी कानून के आधार पर ईसाइयों को गिरफ्तार किया किंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट ने हमले की जांच के लिए शिकायत दर्ज नहीं कराई।

2016 में हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के बलात धर्मांतरण की मिली। उदाहरण के लिए, 2016 में छत्तीसगढ़ में दो अज्ञात हमलावर जिन्हें हिन्दू कट्टरपंथी माना गया, पेंटेकोस्टल में घुस आए तथा पादरी और उसकी गर्भवती पत्नी को पीटा। हमलावरों ने पादरी के बच्चों पर हमला किया तथा 'जय श्री राम' जो भगवान राम का भक्ति गान है, गाने से मना करने पर गैसोलीन से परिवार और चर्च को जलाने का प्रयास किया। मई 2016 में छत्तीसगढ़ में ही छह गोंडी जनजातीय ईसाई परिवारों को कटोदी गांव छोड़कर इसलिए जाना पड़ा कि उनके हिन्दू पड़ोसियों ने बलात हिन्दू धर्म अपनाने के लिए उनपर हमला किया और उन्हें धमकी दी। इन परिवारों के घरों को नष्ट कर दिया गया।

सिखों के खिलाफ उल्लंघन: हिन्दू राष्ट्रवादी प्रायः सिखों का उत्पीड़न करते हैं और उन पर दबाव डाला जाता है कि वे धार्मिक प्रथाओं और आस्थाओं का पालन न करें जोकि सिर्ख धर्म में विशेष तौर पर किये जाते हैं जैसे कि उनकी पोशाक, उनके बिना कटे बाल और धार्मिक सामान को साथ रखना जिसमें कृपाण भी शामिल है तथा यह ऐसे अधिकार है जिसकी रक्षा संविधार द्वारा की गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों को हिन्दू मानता है। यह ऐसे परिवेश का निर्माण करता है जिसमें हिन्दू राष्ट्रवादी सिखों को अस्वीकृत हिन्दू मानते हैं तथा इन्हें भारत का शत्रु भी मानते हैं क्योंकि कुछ सिख खालिस्तानी राजनीतिक आंदोलन के समर्थक हैं तथा ये

भारत में सिखों के लिए नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं एवं स्वतंत्र मत के तौर पर सिख धर्म की पूर्ण कानूनी मान्यता चाहते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (दलितों) के खिलाफ उल्लंघन: आधिकारिक तौर पर दलितों की अनुमानित आबादी 20 करोड़ है। 'उच्च जाति' के व्यक्ति या स्थानीय राजनीतिक नेता, जो प्रायः हिन्दू राष्ट्रवादी समूह के सदस्य होते हैं, कथित तौर पर हिन्दू दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोकते हैं क्योंकि उनके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। इसके अलावा दलितों ने पिछले वर्ष हिन्दू राष्ट्रवादियों के बढ़ते उत्पीड़न की रिपोर्ट दी तथा जो कथित तौर पर जाति प्रथा बनाए रखना चाहते हैं तथा इनका मानना है कि दलितों को रोजगार और स्कूलों में 'उच्च जाति' के व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गैर-हिन्दू दलित विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों को हिन्दू दलितों के लिए उपलब्ध नौकरियों या स्कूल नियोजन में कोई आधिकारिक आरक्षण नहीं है जो इन समूहों की महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उन्नति में बाधा पहुंचाता है।

अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिन्दू राष्ट्रवादियों का घृणा करने का अभियान: 2014 में आरएसएस ने घर वापसी कार्यक्रम के अंतर्गत हजारों ईसाइयों और मुसलमानों परिवारों को 'पुर्न-धर्मांतरण' करने की योजना की घोषणा की थी और ऐसा करने के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया था। देश और विदेश में कड़ा विरोध होने के बाद आरएसएस ने अपनी योजना स्थगित की। तथापि जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2016 में छोटे स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के बलात धर्मांतरण की खबर मिली है, इसके अलावा, फरवरी 2016 में आरएसएस ने कथित रूप से पूरे भारत में ट्रेन स्टेशनों पर पर्चे चिपकाए थे जिसमें कहा गया था कि भारत छोड़ दो या हिन्दू धर्म स्वीकार कर लो अन्यथा उन्हें 2021 तक मार दिया जाएगा।

इसके अलावा हिन्दू राष्ट्रवादियों का बहु लाओ, बेटी बचाओ अभियान, युवा हिन्दुओं को गैर हिन्दू लड़कियों से शादी करने और उनका धर्मांतरण, जो प्रायः बलात होता है, करने के लिए प्रोत्साहित करता है। *लव जिहाद* एक अभियान है जिसमें बताया जाता है कि हिन्दू महिलाओं से शादी करने वाले मुसलमान युवक ऐसा बलात तरीके से करते हैं, और *'मुसलमान मुक्त भारत'* मुसलमानों को भारत छोड़ने का आह्वान करता है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों ने भी रिपोर्ट दी है कि हिन्दू राष्ट्रवादी समूहों ने सार्वजनिक रूप से हिन्दुओं से आग्रह किया है कि वे मुसलमानों या ईसाइयों के स्वामित्व वाले व्यापार का बहिष्कार करें, उन्हें संपत्ति किराए पर न दें और उन्हें रोजगार न दें।

भाजपा के सदस्य, जिनका हिन्दू राष्ट्रवादी समूहों से स्पष्ट नाता है, भी यह कहते हुए धार्मिक तनाव बढ़ाते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि हिन्दू बहुसंख्यकों को पीछे छोड़ने का एक प्रयास है। 2016 में भाजपा के वरिष्ठ संसद सदस्य योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज ने कथित रूप से मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की। योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2016 में सार्वजनिक रूप से मुसलमानों से कहा कि वे भारत छोड़ दें और वहां चले जाएं जहां 'शरिया' कानून चलता है। इसी तरह से हिन्दू राष्ट्रवादी समूहों ने दावा किया है कि ईसाई अमरिकी के गुप्तचर हैं तथा ये पाश्चात्य साम्राज्यवादी हैं जिनका उद्देश्य बलात धर्मांतरण के द्वारा हिन्दुत्व को नीचा दिखाना और भारत को ईसाई देश बनाना है। मुसलमान और ईसाई समुदाय ने रिपोर्ट

दी है कि इन संगठित अभियानों से उन क्षेत्रों में भी भय और उत्पीड़न बढ़ा है जहां वे उपमहाद्वीप में 1947 से ब्रिटिश उपनिवेशवाद खत्म होने से पूर्व रह रहे हैं।

पिछली घटनाओं पर समुचित कार्रवाई: भारतीय न्यायालयों द्वारा उत्तर प्रदेश में (2013), हिन्दू-मुसलमान सांप्रदायिक हिंसा और गुजरात (2002) में बड़े पैमाने पर हिंसा तथा उड़ीसा में (2007-08) में हिन्दू-ईसाई सांप्रदायिक हिंसा और दिल्ली (1984) में हिन्दू-सिख सांप्रदायिक हिंसा के मामलों की अभी भी सुनवाई कर रही है। गैर-सरकारी संगठन, धार्मिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इन जांच और न्यायिक कार्रवाइयों में धार्मिक पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय दावा करते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों को अक्सर गवाही न देने के लिए धमकाया जाता है, विशेष रूप से जब स्थानीय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या नेताओं के मामलों में फंसे हों। जून 2016 में दो अलग-अलग मामलों में गुजरात के दो न्यायालयों ने राज्य में 2002 की हिंसा से जुड़े लोगों को जान से मारने तथा अन्य अपराधों में 48 लोगों को दोषी पाया। मुसलमान समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दोषी ठहराए जाने के निर्णय की तारीफ की किंतु दर्जनों मामलों में लोगों को बरी किए जाने पर चिंता व्यक्त की। फ़रवरी 2016 में, 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों पर विशेष फैसले के अनुसार सबूतों के अभाव में 10 लोगों को आगजनी और हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। फ़रवरी 2015 में, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुईघटनाओं की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई एसआईटी (SIT) बनाई गई है किंतु खबर के अनुसार, एसआईटी (SIT) ने अपनी जांच पर न तो कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है, और न ही कोई नया मामला दर्ज किया है।

अमेरिकी नीति

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिकी ने पिछले कई दशकों से संबंधों को प्रगाढ़ बनाया है और अब भारत को 'रणनीतिक' और 'नैसर्गिक' सहयोगी के रूप में वर्णित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने ऊर्जा, शिक्षा, आतंकवाद के बढ़ते खतरे, लोकतंत्र के साझा मूल्य और कानून के शासन को ध्यान में रखकार साझा चिंताओं के आधार पर रणनीतिक संबंध बनाए हैं। 2009 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संवाद शुरू किया जिसके माध्यम से दोनों देशों ने आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और पर्यावरण जैसे द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को किसी वार्ता में शामिल नहीं किया गया है। 2015 में अमेरिकी-भारत रणनीतिक और व्यावसायिक संवाद (एसएंडसीडी) हेतु भारत के साथ संबंधों में विस्तार हुआ। अगस्त, 2016 में तत्कालीन विदेशी मंत्री जॉन केरी और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री पेनी प्रिट्जकर की सह-अध्यक्षता में दूसरी एसएंडसीडी बैठक नई दिल्ली में हुई।

अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते कायम करने के प्रयास के तौर पर, ओबामा प्रशासन ने भारतीय सरकार के प्रति महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी के अंतर्गत पहली राजकीय मुलाकात नवंबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आयोजित की गई। नवंबर

2010 में, राष्ट्रपति ओबामा ने भारत में तीन दिन का राजकीय दौरा किया और भारत के वार्षिक गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए जनवरी 2015 में वे दोबारा आए और भारत में दो बार आने वाले वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। जनवरी में अपने भारत दौरे और दोबारा फरवरी 2015 में अमेरिकी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर उल्लेखनीय टिप्पणी की और देश से आग्रह किया कि वे "धार्मिक आस्था के अनुसार बिखरे नहीं" तथा यह भी कहा कि धर्म के आधार पर "असहिष्णुता के कृत्य" से [महात्मा] गांधी जी को आघात पहुंचा होता, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में मदद की है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में अमेरिका का दौरा किया जहां वे तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा एवं गृह मंत्रालय के पदाधिकारियों से मिले तथा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बता दिया कि "मत और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता एवं सभी नागरिकों की समानता, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो, मूल अधिकारों में सुरक्षित है।" दिसंबर 2016 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के तत्कालीन माननीय राजदूत डेविड सैपरस्टेन ने नई दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरु की यात्रा की तथा इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकारी पदाधिकारियों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों, दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नेताओं से भेंट की।

यूएससीआरआईएफ़ ने मार्च 2016 में देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों के संबंध में विद्यमान और बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रखकर भारत का दौरा किया। यूएससीआरआईएफ़ को गृह मंत्रालय और दिल्ली में अमेरिकी दूतावास का पूर्ण समर्थन मिला था। तथापि, भारत सरकार ने यूएससीआरआईएफ़ के शिष्टमंडल को वीजा जारी करने में असमर्थ रही या यूं कहें कि वीजा देने से इंकार कर दिया। गृह मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ताओं ने एक रिपोर्टर के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मंत्रालय "इस खबर से निराश हैं।" भारत सरकार ने 2001 और 2009 में भी यूएससीआरआईएफ़ को वीजा नहीं दिया था।

आयुक्त तेंजिंग दोरजी का अतिरिक्त वक्तव्य:

संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का मेरा प्रयोजन कई वर्षों तक भारत में रहने, शिक्षा ग्रहण करने और यहां काम करने के परिप्रेक्ष्य को साझा करना है। भारत ने मुझे और मेरे स्वर्गीय माता-पिता सहित तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया है जो साम्यवादी चीन के तिब्बत पर आक्रमण और धार्मिक उत्पीड़न से बच गए थे। तिब्बती लोग भारत और उसके लोगों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने लगभग छह दशक से उन्हें दूसरा घर दिया है। यद्यपि तिब्बत में बौद्ध धर्म पर बहुत अधिक प्रतिबंध है तथापि भारत यह फलफूल रहा है और सेरा, द्रेपुंग, गडेन जैसे मठीय विश्वविद्यालय और अन्य व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैंने संक्षेप में भारत के धार्मिक स्थिति की अपनी समग्र समझ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

भारत विश्व की प्राचीन महान सभ्यताओं में से एक है जहां हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म तथा विविध पंथों के अवतरित होने की भूमि है। सौहार्द पर सर्वधर्म सम्मेलन में पूज्य दलाई लामा ने भारत के कई शताब्दी पुराने धार्मिक विविधता और सद्भाव की सराहना करते हुए कहा "...इसके (देशी मूल के धर्म और विदेशी मूल के धर्म) बावजूद तथ्य यह है कि ये धर्म एक-दूसरे से सहअस्तित्व बनाने में सफल रहे हैं और अहिंसा का सिद्धांत वास्तव में देश में फलफूल रहा है। आज भी इस सिद्धांत का प्रत्येक धर्म पर गहरा प्रभाव है। यह अमूल्य है और भारत को वास्तव में इस पर गर्व करना चाहिए।" पूज्य दलाई लामा ने भारतीय संविधान में व्यक्त किए गए धर्मनिरपेक्ष भारत की प्रशंसा की जिसमें भिन्न-भिन्न आस्था रखने वाले और साथ ही किसी आस्था में विश्वास न रखने वाले लोगों का सम्मान किया गया है।

कुल मिलाकर, मैंने समझा और अनुभव किया कि भारत में धार्मिक सद्भाव है। भारत के मतों में परस्पर टकराव और राजनीति के कारण होने वाली सांप्रदायिक हिंसा सहित समस्याग्रस्त धार्मिक स्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए। यद्यपि मैं हिंसा के किसी कार्य को माफ नहीं करता हूं तथापि भारत के बहुधार्मिक परिवेश एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के तथ्य को ध्यान में रखकर बीच-बीच में ऐसी हिंसा फैलने की स्थिति को समझा जा सकता है। यूएससीआरआईएफ़ की रिपोर्ट भारत में धर्म की स्थितियों को रेखांकित करती है और भारत सरकार के धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधानों की आवश्यकता पर बल देती है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सिख, बौद्ध और जैन को हिन्दू मानने वाले बेतुके संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करें। इन तीनों मतों के अपने प्रवर्तक, अपना धार्मिक इतिहास और पद्धतियां हैं जिन्हें भारत और विदेश में करोड़ों लोगों द्वारा अपनाया जाता है।

गौहत्या पर बात करें तो इस पर प्रतिबंध पूरे भारत में एक समान नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कानूनी बूचड़खाने गौमांस के उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जहां तक सिखों के धार्मिक अपेक्षाओं की बात है, वे बढ़े हुए बालों और पगड़ी पहनकर स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 यह मानता है कि सिखों का 'कृपाण रखना' कानूनी और आस्था से जुड़ा मामला है। जाति प्रथा के संबंध में भारत के समस्त लोगों को मानव गरिमा की रक्षा करना भी इस बुराई को समाप्त करने का प्रयास माना जाना चाहिए। मेरे विचार में भारत को टियर 2 में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 29 राज्यों में 19 राज्यों में शेष 10 राज्यों की तुलना में धार्मिक स्वतंत्रता का कोई गंभीर उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं भारत सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह यूएससीआरआईएफ़ कमिशनर को अंतर-धार्मिक सद्भाव सहित स्थानीय धार्मिक स्थितियों की चर्चा करने के लिए भारत का दौरा करने की अनुमति दें।